भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-440
बुधवार, 5 फरवरी, 2020/16 माघ, 1941 (शक)

बढ़ती बेरोजगारी दर

440. डा॰ किरोड़ी लाल मीणाः

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या फरवरी, 2019 में बेरोजगारी की दर बढ़कर 7.2 प्रतिशत हो गयी है जो कि गत 28 महीनों में सबसे कम रहा है और सितंबर, 2016 से अब तक श्रम-बल घटकर 25.7 मिलियन हो गया है तथा रोजगार प्राप्त करने वाले व्यक्तियों की संख्या 18.3 मिलियन से कम हो गई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) फरवरी, 2017 और फरवरी, 2019 में क्रमशः रोजगार प्राप्त करने वाले व्यक्तियों की कुल संख्या कितनी-कितनी है; और

(घ) रोजगार के अधिक अवसरों का सृजन करके बेरोजगारी को कम करने के लिए किए गए प्रयासों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री संतोष कुमार गंगवार)

(क एवं ख): राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ), सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा 2017-18 के दौरान आयोजित किए गए वार्षिक आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) तथा श्रम ब्यूरो, श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा आयोजित किए गए रोजगार-बेरोजगारी संबंधी वार्षिक सर्वेक्षण के परिणामों के अनुसार, देश में 15 वर्ष एवं उससे अधिक आयु के व्यक्तियों का सामान्य स्थिति (प्रमुख स्थिति+सहायक स्थिति) आधार पर उपलब्ध सीमा तक अनुमानित श्रम बल भागीदारी दर, *कामगार* जनसंख्या अनुपात एवं बेरोजगारी दर नीचे दी गई है:

श्रम बल संकेतक	2017-18 (पीएलएफएस)	2015-16 (श्रम ब्यूरो)
श्रम बल भागीदारी दर	49.8%	52.4%
कामगार जनसंख्या दर	46.8%	50.5%
बेरोजगारी दर	6.0%	3.7%

(टिप्पणीः *पीएलएफएस एवं श्रम ब्यूरो सर्वेक्षण में सर्वेक्षण की कार्य-पद्धति तथा प्रतिदर्श का चयन अलग-अलग है।)

(ग एवं घ): नियोजनीयता में सुधार करते हुए रोजगार का सृजन करना सरकार की प्राथमिकता रही है। सरकार ने देश में रोजगार का सृजन करने के लिए अर्थव्यवस्था के निजी क्षेत्र को प्रोत्साहन देने, पर्याप्त निवेश वाली विभिन्न परियोजनाओं को गति प्रदान करने और प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी), महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एमजीएनआरईजीएस), पं. दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयू-जीकेवाई) तथा दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डीएवाई-एनयूएलएम) जोकि क्रमश: सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय एवं आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा संचालित हैं, जैसी योजनाओं पर सार्वजनिक व्यय में वृद्धि करने जैसे विभिन्न कदम उठाए हैं। देश में इन योजनाओं/कार्यक्रमों के माध्यम से उपलब्ध सीमा तक सृजित रोजगार के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं:

योजनाएं/वर्ष	2017-18	2018-19
पीएमईजीपी के तहत सृजित रोजगार (लाख में)	3.87	5.87
एमजीएनआरईजीएस के तहत सृजित मानव-दिवस (करोड़ में)	233.74	268.00
डीडीयू-जीकेवाई के तहत नियोजित अभ्यर्थी (लाख में)	0.76	1.36
डीएवाई-एनयूएलएम के तहत नियोजन (लाख में)	1.15	1.63

स्रोतः संबंधित मंत्रालय

स्किल इंडिया मिशन के अंतर्गत, कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय देश भर में चार वर्षों अर्थात् 2016-2020 से अल्पकालिक प्रशिक्षण (एसटीटी) एवं पूर्व सीखने को मान्यता (आरपीएल) के तहत एक करोड़ व्यक्तियों को कौशल प्रदान करने के उद्देश्य से प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) 2016-20 नामक एक फ्लैगशीप योजना का कार्यान्वयन कर रहा है। 17.01.2020 तक पीएमकेवीवाई के तहत देश भर में 16.6 लाख (लगभग) अभ्यर्थी नियोजित हो चुके हैं।

सरकार ने स्व-रोजगार को सुकर बनाने के लिए, अन्य बातों के साथ-साथ, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) आरंभ की है। पीएमएमवाई के अंतर्गत सूक्ष्म/लघु व्यापारिक उद्यमों तथा व्यक्तियों को अपने व्यापारिक कार्यकलापों को स्थापित करने अथवा विस्तार करने में समर्थ बनाने के लिए 10 लाख रुपए तक का गैर-जमानती ऋण प्रदान किया जाता है।

सरकार ने राष्ट्रीय करियर सेवा (एनसीएस) परियोजना को कार्यान्वित किया है, जिसमें एक ऐसा डिजिटल पोर्टल शामिल है जो गतिशील, दक्ष एवं सकारात्मक ढंग से योग्यता अनुरूप रोजगार हेतु रोजगार चाहने वालों एवं नियोक्ताओं के लिए एक राष्ट्र-व्यापी ऑनलाइन मंच प्रदान करता है तथा इसमें रोजगार चाहने वालों हेतु आजीविका संबंधी विषय-वस्तु का भंडार है।

*****